उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1532/2022 दिनांक /Date.: 12-01-2022

संवाद–196

विषयः– पुलिस आरक्षी(कांस्टेबल) के पद पर ऊपरी आयुसीमा से अधिक के अभ्यर्थियों द्वारा होमगार्ड्स सेवा का गलत विकल्प चयन करने व आवेदन में झूठी सूचना देने के संबंध में :–

प्रिय अभ्यर्थियों,

आप अवगत है कि उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पुलिस विभाग के अंतर्गत आरक्षी संवर्ग के 1521 रिक्त पदों, तथा पुलिस विभाग के लिए कतिपय अन्य पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है।

इन पदों पर होमगार्ड्स के जवानों को 03 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के बाद उक्त पदों पर आवेदन करने हेतु अधिकतम आयुसीमा में 05 वर्ष छूट प्रदान की गयी है।

आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कुछ अभ्यर्थी जो होमगार्ड्स में 03 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते है या होमगार्ड्स में उन्होंने कभी सेवा नहीं की है, वे भी होमगार्ड्स का 03 वर्ष की सेवा वाले विकल्प चयन कर रहे हैं जिससे वे होमगार्ड्स के लिए अनुमन्य ऊपरी आयुसीमा का लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाये।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि चयन प्रक्रिया में स्क्रूटनी के दौरान या किसी भी चरण में और अभिलेख सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो उनका तत्काल अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। साथ ही उन्हें आयोग की कुछ परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित भी किया जा सकता है। अतः कृपया आवेदन पत्र में कोई भी झूठी सूचना न दें।

आयोग की ओर से,

12/1/22

(संतोष बडोनी)
सचिव।